भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *372

(जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 (शक) को दिया जाना है)

गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां

372. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की निवल गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां (एन.पी.ए.) घटकर 3.71 प्रतिशत हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी विभाग/उपक्रम शीर्ष चूककर्ताओं में से हैं जिनके चलते एन.पी.ए. बन रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के एन.पी.ए. का ब्यौरा क्या है;

(घ) इनके एन.पी.ए. में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ड) 100 बड़े गैर-निष्पादनकारी कॉर्पोरेट ऋण खातों के शीघ्र समाधान के लिए पर्यवेक्षण समिति की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां' के संबंध में श्री कल्याण बनर्जी द्वारा पूछे गए 11 अगस्त, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *372 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.): 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) कुल अग्रिम का 3.72% हैं। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 25 एनपीए में कोई सरकारी विभाग/उपक्रम नहीं है।

विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पिछले पांच वितीय वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए और सकल एनपीए अनुपात संबंधी आंकड़े

(राशि करोड़ रुपए में)

	2013	2014	2015	2016	2017
सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)- सकल एनपीए	1,55,890	2,16,739	2,67,065	5,02,068	6,41,057
सकल एनपीए अनुपात	3.84	4.72	5.43	9.83	12.47
निजी क्षेत्र के बैंक – सकल एनपीए	19,986	22,738	31,576	48,380	73,842
सकल एनपीए अनुपात	1.91	1.88	2.20	2.70	3.51

स्रोत: आरबीआई

बैंकों को दवाबग्रस्त आस्तियों के त्वरित समाधान के लिए कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना, जेएलएफ का गठन, दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना (5/25 योजना), कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) और दवाबग्रस्त आस्तियों की संपोषणीय संरचना (एस4ए) जैसे साधन उपलब्ध कराए गए हैं।

इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सड़क (रूकी हुई परियोजना में एनएचएआई के हस्तक्षेप से एकबारगी निधि निवेश), विद्युत क्षेत्र (उदय योजना), इस्पात क्षेत्र (न्यूनतम आयात मूल्य की अधिसूचना) जैसे क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट उपाय किए गए हैं ताकि दबाव में कमी आए। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने दबावग्रस्त आस्तियों के समयबद्ध तथा न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षित समाधान के लिए दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) को अधिनियमित किया है।

आरबीआई ने उधारदताओं को राहत देने के उद्देश्य से समाधान प्रक्रिया की अन्य पक्ष पुनरीक्षा आरंभ करके योजनागत समाधान के पश्चात् खातों के समाधान के पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यावलोकन समिति (ओसी) का गठन किया है।

*****